



इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 004
ईपीएबीएक्स 2706577-78, 2702784 फ़ैक्स 0141-2706575
Website : igprgvs.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ4()भंडार/आईजीपीआरएस/17 / 1066

दिनांक - 9/5/17

मै0

.....

.....

विषय:- धुलाई की दरें प्रस्तुत करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्थान के हॉस्टल में चद्दरों की धुलाई समय-समय पर आवश्यकतानुसार करवाई जाती है जिसके लिये आप अपनी दरें दिनांक 17.05.2017 को सुबह 11:00 बजे तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, उसके बाद प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। संस्थान के अतिरिक्त बैडशीट, पीलो कवर व अन्य चौपाल परिसर से लाने व पहुंचाने होंगे।


अतिरिक्त निदेशक

क्र.स.	नाम आइटम का नाम	अनुमोदित दरें	प्रति नग
1.	कम्बल सिंगल बैड		
2.	कम्बलखोल/रजाई खोल		
3.	चादर सफेद		
4.	चादर रंगीन		
5.	पर्दे बड़े		
6.	पर्दे छोटे		
7.	तकिये कवर		
8.	टाँवल बड़े		
9.	नेपकीन		
10.	टेबल कवर		
11.	खेस सिंघल बेड		
12.	सफेद चादर फुल साईज		
13.	सोफा कवर		
14.	गाडी कवर		
15.	गलीचा 4X6 प्रति वर्ग फुट		
16.	कम्बल की झाइक्लीन		
17.	जयपुरी रजाई की झायक्लीन		

सामान्य शर्तें :-

1. संस्थान के अतिरिक्त बैडशीट, पीलोकवर व धुलाई के कपडे चौपाल परिसर से लाने व पंहुचाने होंगे।
2. बैडशीट, टावल, पीलोकवर आदि के दाग-धब्बों को हटाकर साफ सुथरा देने होंगे।
3. धरोहर राशि के रूप में 1000/- रु. नगद अथवा डी.डी. संस्थान में जमा कराने होंगे।
4. धुलाई के समय कपडों के कटने-फटने पर कपडों की राशि निविदादाता द्वारा वसूल की जावेगी।
5. चद्दर, तकिया, कवर आदि प्रेस (ईस्ट्री) किये हुये हो। उन पर किसी प्रकार के दाग-धब्बे ना हो, संभलवाते समय यह सुनिश्चित किया जावेगा। साथ ही चद्दर, तकिया, कवर आदि बिना प्रेस किये, दाग-धब्बे पाये जाने पर एक बार में 100/- रु का जुर्माना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय नाम व पता दूरभाष सं.